II-157
C.J.
सत्र प्रकरण क्रमांक 230/2019
राज्य विरूद्ध महेश कुमार गौतम एवं अन्य

Witness no........02.............for..................अभियोजन साक्ष्य.............................Deposition taken the.......20.01.2022............day of....गुरूवार......... Witness's apparent age......16...................
States on affirmation.......शपथ पर....................My name is.......पूजा जोगी...........
Dau.of.........................स्व. राजकुमार जोगी.........occupation.......कचरा चुनने/सफाई कार्य..........
address...............तालाब पार, खरोरा, जिला रायपुर छ.ग................

समय 02.40 बजे

01. मैं गिरफ्तारी पत्रक में चस्पा छायाचित्र देखकर अभियुक्तगण को पहचान रही हूं पर उनका नाम नहीं जानती हूं।

02. घटना दिनांक मैं निश्चित तौर पर नहीं बता सकती। लेकिन घटना आज से एक वर्ष से भी अधिक समय की है। अभियुक्तगण मुझे, आशा और सपना को लेकर आर्केस्टा में काम करा रहे थे। हम तीनों बहनों को अलग–अलग गांव में भेज देते थे और नचवाने का प्रोग्राम करवाते थे।

03. अभियुक्तगण हम तीनों बहनों के साथ मारपीट किया करते थे, खाना नहीं देते थे। प्रताड़ित करते थे तब मैं रायपुर में अपने मां के पास फोन लगाकर हम लोगों के साथ हो रहे प्रताड़ना की जानकारी दी थी। तब मेरी मां पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

04. रायपुर से पुलिस वाले हम तीनों बहनों को बिहार से लेकर आये थे। पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे। पुलिस वालों के साथ हम तीनों बहने न्यायालय परिसर में आकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिये थे।

II-157
C.J.
सत्र प्रकरण क्रमांक 230/2019
राज्य विरूद्ध महेश कुमार गौतम एवं अन्य

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री शशीकांत शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

05. यह कहना सही है कि अभियुक्तगण में से जो महिला है उसे मैं ''मौसी'' कहती थी। यह कहना सही है कि आर्केस्टा का काम मंदा पड़ने से हम लोगों ने अभियुक्तगण को हमें रायपुर भेजने के लिये कहा था। तब अभी मेरी मां को देने लायक रूपये नहीं जोड़े है जब जुड़ जायेंगे तो एक साथ रूपये और हम लोगों को मेरी मां के पास ले जाने की बात अभियुक्तगण ने कहा था।

06. यह कहना सही है कि मेरी दोनों बहने रायपुर आने के लिये जिद करती थी, जिन्हें अभियुक्तगण द्वारा जिद करने से रोकने के लिये डांटा जाता था। यह कहना सही है कि अपनी मां को फोन करने के पहले मैंने कोई परेशानी होने की बात आस–पास के लोगों को नहीं बतायी थी।

समय 03.10 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निदेशन पर टंकित किया गया ।

सही/–
(विक्रम प्रताप चन्द्रा)
द्वादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

सही/–
(विक्रम प्रताप चन्द्रा)
द्वादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर ....